2023/59

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अमृतलाल पुत्र श्री कपूरचंद अग्रवाल निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 01 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि शिवगंज सिरोही पिण्डवाडा राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या एक से आठ तक की सूचनाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि शिवगंज सिरोही पिण्डवाडा राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या एक से आठ तक की सूचनाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 118, उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/1316 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 118, उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 118, उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2024.01.06 15:17:56 IST Reason: SelfAttested (भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner